(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 430–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–2–2006 –पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 114/2004–05 अपील

गेंदालाल पुत्र कल्याण ब्राहमण
निवासी इकहरा तहसील गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मोहनलाल पुत्र नाथूराम ब्राहमण
निवासी ग्राम इकहरा
तहसील गोहद जिला भिण्ड ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री सुभाष सक्सैना)

आ दे श

(आज दिनांक 2 – 2 – 2016 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 114/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–2–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम इकहरा तहसील गोहद स्थित आराजी क्रमांक 751 जिसका बंदोवस्त के वाद नया नंबर 785 बना है, बंदोवस्त कार्य के दौरान रास्ता खतम कर दिया गया। अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष रास्ता कायम किए जाने हेतु आवेदन दिया, जिस पर प्रकरण क्रमांक 20/99-2000 अ-5 कायम किया जाकर सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से जांच कराते हुये जांच प्रतिवेदन के आधार पर पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 19-5-2003 पारित किया गया तथा बंदोवस्त के पूर्व के नक्शा अनुसार रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला भिण्ड के समक्ष अपील क्रमांक 36/2002-03 प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 18-4-2005 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपील होने पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 114/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-2-06 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री सुभाष सक्सैना के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनावेदक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अनुविभागीय अधिकारी गोहद के प्रकरण क्रमांक 20/99-2000 अ-5 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा सूचना पत्र निर्वाहित कराने पर आवेदक मय अभिभाषक के पेशी 17-8-2000 को उपस्थित हुआ है । इसके वाद प्रकरण में 48 पेशियों पर दिनांक 23-4-2003 के बीच सुनवाई हुई हैं एंव आवेदक के अभिभाषक निरन्तर उपस्थित रहे है तथा दिनांक 23-4-2003 को आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषक ने अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अंतिम बहस की है ऐसी स्थिति में आवेदक के अभिभाषक यह तर्क

स्वीकार योग्य नहीं है कि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी गोहद के प्रकरण क्रमांक 20/99-2000 अ-5 में आये तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि बंदोवस्त के पूर्व आराजी क्रमांक 751 जिसका बंदोवस्त के वाद नया नंबर 785 बना है, बंदोवस्त कार्य के दौरान रास्ता अंकित होना छूट गया था । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के अंतर्गत बंदोवस्त के दौरान त्रृटि होने पर अनुविभागीय अधिकारी को त्रृटि सुधार की शक्तियॉ प्राप्त है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने स्थल निरीक्षण कराकर एंव उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर आदेश दिनांक 19-5-2003 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है। वैसे भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 114/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-2-06 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर